राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश

8, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल 462004

क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/एन.आर.एच.एम./2015/ 5570 भोपाल, दिनांक 26/05/2015

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   मध्यप्रदेश
2. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   मध्यप्रदेश

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में पोषण पुनर्वास केन्द्रों में गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु आवश्यक औषधियों के कय की स्वीकृति बावत।**

*****

शिशु स्वास्थ्य–पोषण, वर्ष 2015–16/परिपत्र क्रमांक – 9

विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश मे संचालित समस्त पोषण पुनर्वास केन्द्रों में गंभीर कुपोषण से ग्रसित बच्चों का विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक अनुसार प्रबंधन किया जाता है। इन गंभीर कुपोषित बच्चों के संस्थागत प्रबंधन हेतु विशिष्ट औषधीय प्रोटोकॉल निर्धारित है, अतः पोषण पुनर्वास केन्द्रों में निर्धारित औषधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य रूप से आवश्यक है। **उपरोक्त के संबंध में स्वीकृत कार्ययोजना वर्ष 2015–16 में शिशु स्वासथ्य – पोषण की गतिविधि Drugs & supplies for CH अंतर्गत निम्नानुसार राशि प्रावधानित है:–**

- **FMR Code B.16.2.2.1 'Procurement of medicines for 20 beded NRCs' में राशि ₹ 1000/– प्रतिमाह प्रति 20 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु एवं**
- **FMR Code B.16.2.2.2 ''Procurement of medicines for 10 beded NRCs' में राशि ₹ 500/– प्रतिमाह प्रति 10 बिस्तरीय पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु**

उपरोक्तानुसार पोषण पुनर्वास केन्द्रों हेतु निर्धारित औषधियों के क्रय हेतु निम्न दिशा–निर्देश दिये जाते हैं :–

- जिला स्तर से प्रत्येक पोषण पुनर्वास केन्द्र हेतु निर्धारित वार्षिक राशि को संबंधित विकासखण्ड को प्रदाय की जाए।
- विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा पोषण पुनवर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सक अथवा पोषण प्रषिक्षक को उपरोक्त गतिविधि के संचालन हेतु उक्त प्रावधानित राशि को प्रतिमाह प्रदान किया जाए।
- आगामी माह में संबंधित प्रभारी चिकित्सक अथवा पोषण प्रषिक्षक से प्रदायित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर एफ.एम.आई.एस. में उपरोक्त वर्णित एफ.एम.आर. कोड के विरुद्व बुकिंग सुनिश्चित की जाए।
- पोषण पुनर्वास केन्द्रों हेतु आवश्यक औषधियों की सूची निम्नानुसार है :–
  - **पोटक्लोर सीरप**
  - **मैगसल्फ इंजेक्शन**
  - **मल्टीविटामिन सीरप**
  - **जिंक सीरप**
  - **आवश्यक एन्टीबायोटिक्स**
  - **फॉलिक एसिड (आयरन रहित)**
  - **विंटामिन 'ए' सीरप**
  - **आयरन सीरप (प्लेन)**
- **उपरोक्त औषधियों की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / सिविल सर्जन स्टोर में न होने की दशा में ही लोकल खरीदी की कार्यवाही की जाए।**
- राज्य मद से खरीदी गई औषधियां जैसे विटामिन 'ए', एल्बेंडाजोल सस्पेंशन, आयरन सीरप एवं एन्टीबायोटिक एमोक्सिसिलिन, की उपलब्धता जिला स्टोर से प्राप्त कर सुनिश्चित की जाये।
- चिकित्सकीय जटिलता युक्त गंभीर कुपोषित बच्चों के उपचार हेतु उपरोक्त औषधियों के अतिरिक्त चिकित्सकीय परामर्श अनुसार अन्य औषधि का भी क्रय इस राशि से किया जा सकता है।
- **आवश्यकता अनुसार ज़रूरी जांचें एवं Reagents जैसे Mantoux test Reagent की लोकल खरीदी उपरोक्त मद से की जा सकती है।**

- यूनीसेफ, के संभाग स्तरीय समन्वयकों द्वारा राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर पोषण पुनर्वास केन्द्रों में निर्धारित औषधियों की उपलब्धता बावत सतत् फीडबैक दिया जायेगा।
- संस्थावार फीडबैक को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- **आवश्यक औषधियों के निर्धारित डोज हेतु रैकनर एन.आर.सी. एम.आई.एस. की बेबसाईट–www.mpnrcmis.mp.gov.in के सर्कुलर एवं गाईडलाईन टैब से डाउनलोड की जा सकती है।**

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु तत्काल सर्वसंबंधितों को सूचित करें।

(फैज अहमद किदवई)
मिशन संचालक,
एन.एच.एम.मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/शिशु स्वास्थ्य–पोषण/आर.सी.एच./2015/5571
भोपाल, दिनांक 26/05/2015

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, मध्यप्रदेश।
3. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, , भोपाल, मध्यप्रदेश।
4. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त अधिष्ठाता, मेडीकल कॉलेज, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर, म.प्र.।
7. पोषण विशेषज्ञ, यूनीसेफ, भोपाल, मध्यप्रदेश।
8. डिप्टी टीम लीडर, एम.पी.टास्ट, मध्यप्रदेश।
9. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, एम.आई., मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला MO NRC, मध्यप्रदेश।
11. समस्त संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला पोषण सलाहकार, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
15. समस्त विकासखंड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश – निर्देश की प्रति पोषण पुनर्वास केन्द्र के प्रभारी चिकित्सकों को उपलब्ध करायें।

मिशन संचालक
एन.एच.एम,मध्यप्रदेश